(2)

सं0– 160 /XXIV-4/2011–10(74)2010

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4

देहरादूनःदिनांकः 29 मार्च, 2011

विषयः–ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः–21224/5ख (03)/बालि0सुवि0/2010–11 दिनांक 17–7–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिए विशेष सुविधा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु फल्स्वांण फाट, ज0उ0मा0वि0 हरमनी दशौली जनपद चमोली को ₹ 1.20 लाख (रूपये एक लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा ।

2– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृति की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

...2

H.S.

7– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

8– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

9– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. आगणन की एक प्रति इस आशय से संलग्न की जा रही है कि सम्बन्धित निर्माण ईकाई को उपलबध करायी जाय। आगणनों के अनुसार निर्माण इकाई निर्माण कार्यों को सम्पादित करेगी।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या –11 के अधीन आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–02 –माध्यमिक शिक्षा–110– गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–04– अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–0402–माध्यमिक/विद्यालयों में पढ़ रही बालिकाओं के लिये विशेष सुविधा हेतु अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के मामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1211(P) XXVII '(3)/ 2011 दिनांक 29 मार्च , 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या– 110 (1)/ XXIV-4/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी ।
4. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, चमोली।
6. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड सचिवालय।
8. कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
9. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव।

HS